

मूल वाद में अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 10 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 185/2020

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

-वादी

बनाम

1. गुरदयाल सिंह
2. मुंशी सिंह
3. सरवण सिंह
4. हरनेक सिंह
5. मिटु सिंह
6. निरंजन सिंह
7. मेजर सिंह
8. सस्वती पत्नी जगराम उर्फ जागर राम
9. श्री चन्द
10. सुभाष चन्द्र
11. रामधन
12. पूर्णराम
13. पृथ्वी राम
14. बखतावर राम
15. पुष्पा देवी पत्नी रूपराम
16. ओम प्रकाश
17. इन्द्राज
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा ढाबां
13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा संगरिया
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

समस्त जाति जाट निवासी
दीनगढ तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ(राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण सं. :-185/2020

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया
वकील वादी मिन जामिन मुदई हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न भूमि का निम्न अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दीनगढ़

चक 5 डी.एन.जी. खाता सं. 23/12

प.नं. मु.नं. कि.नं.

186/138 43 7/2/0.127 है.

2. ओम प्रकाश, इन्द्राज पिसरान रूपराम, पुष्पा देवी पत्नी रूपराम बहिब 1/5 हि० पूर्णराम, पृथ्वीराम, बख्तावर राम पि० सरवन राम बहिब 3/5 हि० रामधन, श्रीचन्द, सुभाष पिसरान जागर राम, सरस्वती पत्नी जागर राम बहिब 1/5 हि० जाति जाट सा. ढाबां पूर्णराम राहिन एसबीआई शाखा ढाबां 1.043 हैक्ट., बख्तावराम राहिन एसबीआई शाखा ढाबां

चक 5 डी.एन.जी. खाता सं. 23/12

प.नं. मु.नं. कि.नं.

185/138 44 14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
185/139 58 5/1/0.089 है., 5/2/0.038 है.
186/138 43 8/0.253 है., 11/1/0.228 है.,
11/2/0.025 है., 12,13/0.506 है.,
18,19/0.506 है., 20/1/0.228 है.,
20/2/0.025 है.,
21/1/0.228 है., 21/2/0.025 है.,
22,23/0.506 है.

कुल 3.669 हैक्ट.

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक 3388 दिनांक 08.08.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/5/2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक सचिव एवं
उपसचिव अफिसरी
संगरिया